

# मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन का एक अध्ययन जनपद अम्बेडकर के संदर्भ में

## सारांश

मध्यान्ह भोजन योजना विश्व का सबसे बड़ा स्कूल लंच कार्यक्रम है जो समस्त भारत में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए प्रभावी रूप से चलाया जाता है। यद्यपि पोषण एवं स्वच्छता को आज इनमें से मुख्य रूप से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है प्रस्तुत शोध उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर में स्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है जो मुख्य रूप से तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर संचालित हो रहे परिषदीय विद्यालयों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है इसमें मुख्य रूप से दिये जाने वाले व्यंजनों के प्रकार निर्धारित आहार तालिका एवं उनसे प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों का बारीकी से अध्ययन किया गया है। जिनमें पाया गया कि योजना को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए योजना तथा क्रियान्वयन दोनों स्तर पर सुधार की आवश्यकता है।

## मीता सरल

असिस्टेंट प्रोफेसर,  
गृह विज्ञान विभाग,  
संत गणिनाथ राजकिय  
स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
मु0 बाद, गोहना, मऊ  
(उ0 प्र0) भारत

## प्रियंका

शोध छात्रा  
गृह विज्ञान विभाग,  
संत गणिनाथ राजकिय  
स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
मु0 बाद, गोहना, मऊ  
(उ0 प्र0) भारत

**मुख्य शब्द** : मध्यान्ह भोजनयोजना, पूरक आहार, बेसिक शिक्षा की स्थिति।  
**प्रस्तावना**

संसार का कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उस देश की शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार न हो। भारत को भी विकास की राह पर चलने के लिये अपनी शिक्षा पद्धति में सुधार करना अत्यधिक सराहनीय है। शिक्षा का विषय भारत के संविधान में पहले राज्य सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान के 86 वें अनुच्छेद में शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है शिक्षा को सार्वभौमिक तथा प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन योजना जैसे— निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, पोषाहार आदि प्रदान किये जा रहे हैं। जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। 15 अगस्त सन् 1995 में " प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम प्रारम्भ किया जिसमें पोषाहार के रूप में प्रतिमाह 3 किग्रा0 गेहूँ, चावल वितरित किया गया और कुछ राज्यों में जैसे— तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश आदि में पका-पकाया गर्म भोजन वितरित किया गया। विभिन्न प्रकार के किये गये सर्वे एवं अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि पोषाहार वितरण से बच्चों के नामांकन संख्या में वृद्धि हुई। इस योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन देने की व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया तत्पश्चात् उच्च प्राथमिक के बच्चों के लिए 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान किया गया। 1 दिसम्बर 2009 से सरकार ने इनकी दरों में परिवर्तन किया। जिसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए दालों की मात्रा 25 ग्राम से बढ़ाकर, 30 ग्राम, सब्जियों की मात्रा 65 ग्राम से बढ़ाकर 75 ग्राम कर दी गयी खाने पकाने की लागत 2.50 रूपये से बढ़ाकर 3.75 रूपये कर दिया गया।

मध्यान्ह भोजन योजना को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एम.डी.एम-एम.आई.एस की स्कीम की मॉनीटरिंग के लिए लगाया गया। इस स्कीम को अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में सरकारी अर्द्ध-सरकारी तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक (कक्षा 1-8 तक) विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बच्चों को शामिल किया गया।

## अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य है:-

1. जनपद में संचालित मध्यान्ह भोजन योजनानर्तगत साप्ताहिक आहार तालिका ज्ञात करना।
2. जनपद में एम.डी.एम योजना से संचालित विद्यालयों एवं उससे लाभान्वित बच्चों की संख्या ज्ञात करना।

3. योजना की प्रभावी रूप से लागू करने हेतु उठाये गये टोस निर्णयोद्धकदम को ज्ञात करना।
4. योजना के संचालन में आने वाली समस्याओं को ज्ञात करना।

**साहित्यावलोकन**

बख्शी, जी.ओरकी, 2015 ने 1 अक्टूबर को दैनिक समाचार पत्र जागरण जोश में केन्द्र सरकार द्वारा मिड-डे-मील नियम केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 (NFSA 2013) के अन्तर्गत 30 सितम्बर 2015 को मिड-डे मील नियम 2015 को अनुसूचित किये। इनमें मध्याह्न भोजन योजना सहित कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित प्रावधान है कानून के प्रावधानों के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों से विचार विमर्श के बाद मध्याह्न भोजन योजना नियम तय किये जिसमें योजना के क्रियान्वयन हेतु स्कूल प्रबन्धन कमेटी को मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी का अधिकार स्कूल के प्रधानाचार्य के पास होगा। एम.डी.एम. के लिए राशि प्राप्त होने पर अन्य फण्ड के इस्तेमाल की गयी राशि की भरपाई तुरन्त कर दी जायेगी। योजना के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ता मुहैया कराने का भी प्रवधान है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबित उत्तरप्रदेश में करीब 1,68,768 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ बच्चों को मिड-डे मील दिया जाता है। जिसके माध्यम से इन स्कूलों में करीब एक करोड़ 80 लाख से ज्यादा बच्चों की पोष्टिक भोजन मुहैया कराया जाता है सप्ताह के हर दिन बच्चों को दिया जाने वाले मेन्यू तैयार हैं। भोजन बनाने के लिये रसोइये रख गये हैं। जो गैस चूल्हे पर भोजन बनाते हैं भोजन की मॉनीटरिंग एवं क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ I.A.S. अधिकारी के नेतृत्व में एक प्राधिकरण का गठन हुआ है, इसके अलावा सोशल ऑडिटिंग की भी व्यवस्था लागू है। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कालहंस का मानना है कि

“उत्तर प्रदेश के शहरों में तो योजना ठीक कार्य कर रही है, क्योंकि वहाँ इसकी मॉनीटरिंग भी ठीक होती है, और कई स्तर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की निगाह पड़ती रहती है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में यह व्यवस्था मुख्य रूप से ग्राम प्रधान और स्कूल के अध्यापक के विवेक पर चलती है। इस योजना से सम्बन्धित शिकायतें आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से ही ज्यादा आती हैं। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी का कहना है कि एम.डी.एम. की निगरानी के लिए एक

खास दस्ते फ्लाइंग स्क्वैड का गठन किया जा रहा है जो मण्डल स्तर पर कार्य करेगा और किसी भी स्कूल में अचानक पहुँचकर एम.डी.एम. का निरीक्षण कर सकेंगे और सीधे तौर पर शासन को रिपोर्ट करेंगे। M.D.M. निदेशक विजय किरण आनन्द—

के अनुसार प्रत्येक विद्यालय दिवस में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक अथवा शिक्षामित्र के मोबाइल नम्बर पर स्वचालित काल की जाती हैं। जिसके उत्तर अध्यापक भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्याया अपने मोबाइल फोन के बटनों पर अंकित नम्बरों के माध्यम से अंकित की जाती हैं इस प्रकार केन्द्रीकृत सर्वर पर भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या व भोजन न बनाने वाले विद्यालयों की संख्या दैनिक स्तर पर अंकित हो जाती हैं।

**शोध पद्धति**

प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर का है। प्राथमिक स्रोत के आंकड़ों की पूर्व नियोजित प्रश्नावली द्वारा साक्षात्कार विधि से एकत्र किया गया है। प्रस्तुत शोध हेतु जनपद अम्बेडकर नगर के कुल 320 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया जिसमें से प्रत्येक ब्लॉक से 30 विद्यालय का चयन रेन्डमली (संभाव्य) किया गया। तथ्यों के संकलन के उपरान्त आंकड़ों का मूल्यांकन विभिन्न सांख्यिकीय विधियों द्वारा किया गया। जबकि द्वितीयक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को विभिन्न लेखकों एवं प्रकाशकों की पुस्तकें, पत्र पत्रिकायें सरकारी तथा गैर सरकारी रिपोर्ट मैगजीन समाचार पत्र, प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध एवं इन्टरनेट द्वारा प्राप्त आंकड़ों को शामिल किया गया है। जनपद अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश के उत्तर-दक्षिण दिशा में स्थित है जिसकी कुल जनसंख्या घन्तव 2,39,709,—950 किमी<sup>2</sup> है एवं साक्षरतादर 74.39% है अम्बेडकर नगर में कुल पाँच तहसील हैं। अकबरपुर, टांडा, भीटी, जलालपुर, आलापुर। अम्बेडकर नगर में सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी शिक्षण संस्थान है, जो जिले में ६ प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षण कार्य करते हैं। कुछ उल्लेखनीय संस्थान जैसे— रमाबाई राजकीय महिला पी0जी0 कालेज, बी0एन0के0बी0 पी0जी कालेज, कृषि और मेडिकल शिक्षा हेतु एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, इत्यादि हैं।

**अम्बेडकर नगर एक दृष्टि में**

क्रम सं०	तहसील	ब्लाक	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
			प्रतिदर्श संख्या	
1	अकबरपुर	भियाँव, कटेहरी	18	18
2	टाण्डा	हंसवर, बसखारी	18	18
3	जलालपुर	मालीपुर, जैतपुर	18	18
4	आलापुर	राजेसुल्तानपुर, जहाँगीरगंज	18	18
5	भीटी	महरूआ	16	16
<b>कुल योग</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>320</b>	

**परिणाम एवं परिचर्चा**

प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों की ध्यान में रखते हुए मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले साप्ताहिक आहार तालिका इस प्रकार हैं।

दिन	मेन्यू	प्राथमिक स्तर में				उच्च प्राथमिक स्तर में			
		भारत सरकार द्वारा ऊर्जा एवं प्रोटीन के निर्धारित मानक	ऊर्जा	प्रोटीन	दर	भारत सरकार द्वारा ऊर्जा एवं प्रोटीन के निर्धारित मानक	ऊर्जा	प्रोटीन	दर
सोमवार	रोटी-सोयाबीन दाल की बड़ी युक्त सब्जी	ऊर्जा-450 कि०कैलोरी प्रोटीन-15 ग्राम	468	16.3	3.09	ऊर्जा -700 कि०कैलोरी प्रोटीन-20 ग्राम	702	24.5	4.74
मंगलवार	चावल-दाल	ऊर्जा-450 कि०कैलोरी प्रोटीन-12 ग्राम	467- 485	14-16	3.15	ऊर्जा-700 कि०कैलोरी प्रोटीन-20 ग्राम	700.5- 727.5	21-24	4.83
बुद्धवार	तहरी एवं दूध (दूध प्रा०वि० हेतु-150 मि०ली० व 200 (३० प्रा० वि०) मि०ली०)	ऊर्जा-450 कि०कैलोरी प्रोटीन-12 ग्राम	599	14.5	6.99	ऊर्जा-700 कि०कैलोरी प्रोटीन-20 ग्राम	868	20.6	9.79
गुरुवार	रोटी-दाल	ऊर्जा-450 कि०कैलोरी प्रोटीन-15 ग्राम	463- 481	14-20	3.15	ऊर्जा-700 कि०कैलोरी प्रोटीन-20 ग्राम	695-722	27-30	
शुक्रवार	तहरी	ऊर्जा-450 कि०कैलोरी प्रोटीन-12 ग्राम	472	12.3	3.09	ऊर्जा-700 कि०कैलोरी प्रोटीन-20 ग्राम	708.3	18.5	
शनिवार	चावल-सोयाबीन युक्त सब्जी	ऊर्जा-450 कि०कैलोरी प्रोटीन-12 ग्राम	472	12.3	3.09	ऊर्जा-700 कि० कैलोरी प्रोटीन-20 ग्राम	708.3	18.5	
साप्ताहिक औसत प्रति छात्र प्रति दिवस					3.76				

उर्पयुक्त तालिका में मध्याह्न भोजनार्तगत वितरित किये जाने वाले आहार में ऊर्जा पर 700 कि० कैलोरी तथा प्रोटीन 20हउ.६ छात्र की दर से निर्धारित किया गया है। जो की उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया है। वही प्राथमिक स्तर पर भारत सरकार द्वारा ऊर्जा एवं प्रोटीन के निर्धारित मानक 450 किलो कैलोरी ऊर्जा एवं प्रोटीन 12 ग्राम हैं। जिसको सप्ताह के विभिन्न दिनों में दाल रोटी, सब्जी और चावल द्वारा पूर्ति किया जाता है। साप्ताहिक मेन्यू में सोयाबीन के साथ मिश्रित मौसम में उपलब्ध सब्जियों सम्मिलित है इसके अलावा बुधवार को

तहरी एवं दूध (उबला हुआ) प्राथमिक विद्यालय हेतु 150 मि०ली०, उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 200 मि०ली० दिया जाता है। इसके अलावा कभी-कभी मेन्यू में परिवर्तन करके दूध के स्थान पर खीर एवं कोफता-चावल को भी दिये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसको सख्ती से पालन किये जाने का शासन द्वारा निर्देश भी जारी किया गया है।

उर्पयुक्त तालिका से दृष्टिगत होता है कि मेन्यू में सिर्फ हुए ऊर्जा एवं प्रोटीन का समाहित किया गया है। जबकि अन्य पोषक तत्वों को नगण्य स्थान प्राप्त है।

**तालिका नं०2 एम.डी.एम.योजना साप्ताहिक आहार तालिका व्यंजन एवं उसके प्रकार के आधार पर**

क्र.सं.	दिन	व्यंजनों का नाम	व्यंजन का प्रकार
1	सोमवार	रोटी, सब्जी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग अथवा पूड़ी-सब्जी-सोयाबीन	100 ग्राम, गेहूँ की रोटी, अथवा पूड़ी एवं दाल मौसमी सब्जियाँ का खाद्य के अनुसार मिश्रण मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन।
2	मंगलवार	चावल-सब्जीयुक्त दाल अथवा चावल साम्भर	100 ग्राम चावल एवं सब्जी (मौसमी) मिश्रित अरहर की दाल साम्भर मसाला एवं मौसमी सब्जी।
3	बुद्धवार	कढ़ी चावल अथवा मीठा चावल खीर	100 ग्राम चावल बेसन, मट्टा/दही मिश्रित आवश्यकतानुसार दुध

			चीनी मेवे का मिश्रण।
4	गुरुवार	रोटी-सब्जीयुक्त दाल अथवा पूड़ी सब्जी सोयाबीन	100 ग्राम गेहूं की रोटी अथवा पूड़ी एवं दाल मौसमी सब्जियाँ का स्वाद के अनुसार मिश्रित मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन।
5	शुक्रवार	तहरी	100 ग्राम चावल एवं सब्जी (आलू सोयाबीन समय-समय पर उपलब्ध मौसमी सब्जियाँ)
6	शनिवार	सब्जी-चावल-सोयाबीन अथवा मीठा चावल/खीर	100 ग्राम चावल एवं सोयाबीन तथा मसाले एवं सब्जियाँ का प्रयोग किया गया है

तालिका नं02 में छात्र-छात्राओं के प्रत्येक विद्यालय दिवस में विविधतापूर्ण एवं रुचिकर पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके इसके लिये मेन्यू में गुणवत्तापरक आहार देने का निर्देश है। जिसमें एगमार्क चिन्हित तेल या घी का प्रयोग अच्छे श्रेणी का सोयाबीन, बेसन, मटठा, दही मानक के अनुसार चीनी एवं मेवे तथा भोजन में आयोडाइज्ड नमक एवं ताजी मौसमी सब्जियों का प्रयोग करने का निर्देश है। जिसका विद्यालय कठोरता से पालन करता है।

उपर्युक्त तालिका के सम्बन्ध में शासन द्वारा भोजन में प्रयुक्त होने वाले खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों की सफाई गुणवत्ता एवं स्वच्छता के प्रति कड़ाई से

तालिका नं0 3 मिड-डे-मीलभोजन साप्ताहिक आहार तालिका वांछित सामग्री आवंटन के आधार पर मिड-डे-मील योजना साप्ताहिक आहार तालिका (मेन्यू)

दिन	नवीन मेन्यू	व्यंजन का प्रकार	100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री(प्रथमिक स्तर हेतु)	100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री (उच्च प्राथमिक स्तर हेतु)
सोमवार	रोटी-सब्जी जिसमें सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी का प्रयोग एवं ताजा मौसमी फल	गेहूं की रोटी एवं दाल/सोयाबीन की बड़ी युक्त सब्जी (मौसमी सब्जी का प्रयोग) एवं ताजा मौसमी फल	आटा 10 कि0ग्रा0, सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी 1 कि0ग्रा0 तथा सब्जी 5 कि0ग्रा0, तेल/घी 500 ग्रा0	आटा 15 कि0ग्रा0, सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी 1.5 कि0ग्रा0 तथा सब्जी 7.5 कि0 ग्रा0, तेल/घी 750 ग्रा0
मंगलवार	चावल-दाल	चावल एवं दाल यथा-चना/अरहर/ अन्य दाल	दाल 02 कि0ग्रा0, चावल 10 कि0ग्रा0, तेल/घी 500 ग्रा0	दाल 03 कि0ग्रा0, चावल 15 कि0ग्रा0, तेल/घी 750 ग्रा0
बुधवार	तहरी एवं दूध (उबला हुआ गरम दूध)	चावल एवं मौसमी सब्जी मिश्रित तहरी एवं प्रा0वि0/उ0प्रा0वि0 हेतु	चावल 10 कि0ग्रा0, मौसमी सब्जी 5 कि0ग्रा0, तेल/घी 500 ग्रा0	चावल 15 कि0ग्रा0, मौसमी सब्जी 7.5 कि0ग्रा0, तेल/घी 750 ग्रा0
गुरुवार	रोटी-दाल	गेहूं की रोटी एवं दाल, (यथा-चना/अरहर/अन्य दाल)	आटा 10 कि0ग्रा0, दाल 2 कि0ग्रा0, तेल/घी 500 ग्रा0	आटा 15 कि0 ग्रा0, दाल 3 कि0 ग्रा0, तेल/घी 750 ग्रा0
शुक्रवार	तहरी जिसमें सोयाबीन की बड़ी का प्रयोग	चावल एवं सब्जी (आलू, सोयाबीन एवं समय पर उपलब्ध मौसमी सब्जियाँ)	चावल 10 कि0 ग्रा0, मौसमी सब्जी 5 कि0 ग्रा0, सोयाबीन की बड़ी 1 कि0 ग्रा0, तेल/घी 500 ग्रा0	चावल 15 कि0 ग्रा0, मौसमी सब्जी 7.5 कि0 ग्रा0, सोयाबीन की बड़ी 1.5 कि0 ग्रा0, तेल/घी 750 ग्रा0
शनिवार	चावल-सोयाबीन युक्त सब्जी	चावल एवं सोयाबीन तथा मसाले एवं ताजी सब्जियाँ	चावल 10 कि0 ग्रा0, मौसमी सब्जी 5 कि0 ग्रा0, सोयाबीन की बड़ी 1 कि0 ग्रा0, तेल/घी 500 ग्रा0	चावल 15 कि0 ग्रा0, मौसमी सब्जी 7.5 कि0 ग्रा0, सोयाबीन की बड़ी 1.5 कि0 ग्रा0, तेल/घी 750 ग्रा0

नोट: जहाँ पर सोयाबीन का प्रयोग हो, वहाँ पर 100 छात्रों हेतु 1 किलो सोयाबीन स्तर पर एवं 1.5 किलो सोयाबीन उच्च प्राथमिक स्तर हेतु प्रयोग करें।  
बुधवार को छात्रों को भोजन के साथ अनिवार्यतः उबला हुआ गर्म दूध उपलब्ध कराया जाये।

**नोट:** जहाँ पर सोयाबीन का प्रयोग हो, वहाँ पर 100 छात्रों हेतु 1 किलो सोयाबीन स्तर पर एवं 1.5 किलो सोयाबीन उच्च प्राथमिक स्तर हेतु प्रयोग करें। बुधवार को छात्रों को भोजन के साथ अनिवार्यतः उबला हुआ गर्म दूध उपलब्ध कराया जाये।

प्रस्तुत तालिका प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 बच्चों हेतु दिये जाने वाले सामग्री को दर्शाता है। जिसमें प्राथमिक स्तर पर आटा 10 कि०ग्रा० सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी 1 कि०ग्रा० तथा सब्जी 5 कि०ग्रा० एवं तेल घी 500 ग्राम मात्रा देने का प्रावधान निर्धारित है वही उच्च प्राथमिकता स्तर पर यह मात्रा

बढ़ाकर आटा 15 कि०ग्रा० सोयाबीन एवं दाल की बड़ी 1.5 कि०ग्रा०, सब्जी 7.5 कि०ग्रा० तथा तेल 250 ग्रा० है। मंगलवार को दिये जाने वाले दालध चावल में प्राथमिक स्तर पर दाल 2 कि०ग्रा० एवं चावल 10 कि०ग्रा० वही उच्च प्राथमिक स्तर पर दाल 3 कि०ग्रा० एवं चावल 15 कि०ग्रा० हैं। प्रोटीन की मात्रा को विशेष रूप से दृष्टीगत रखते हुए प्राथमिक स्तर पर 100 छात्रों हेतु 1 कि०ग्रा० सोयाबीन एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 1.5 कि०ग्रा० प्रयोग किया जाता है एवं बुधवार को छात्रों को अनिवार्य रूप से उबला हुआ गर्म दूध दिया जाता है।

**तालिका नं० 4— जनपद अम्बेडकर नगर में एम.डी.एम.योजना से संचालित विद्यालयों की संख्या के आधार पर जनपद में एम०डी०एम० योजना से संचालित विद्यालयों की संख्या**

विद्यालय का प्रकार	परिषदीय	सहायता प्राप्त/ संस्कृत	मदरसा	राजकीय इण्टर कालेज	सहायता प्राप्त इण्टर कालेज	योग
प्राथमिक विद्यालय	1353	1	12	2	3	1371
उच्च प्राथमिक विद्यालय	520	85	12	2	59	678
योग						2049

जनपद में मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चे					
कुल योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अल्पसंख्यक	सामान्य
207900	72419	0	96827	9836	28818

जनपद में कुल प्राथमिक स्तर पर 1353 परिषदीय, 1 सहायता प्राप्त, 1 संस्कृत, 3 सहायता प्राप्त इंटरकॉलेज है, वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर इनकी संख्या काफी कम है। जिसमें 520 परिषदीय, 85 सहायता प्राप्त (संस्कृत 59 सहायता प्राप्त इंटरकॉलेज, वहीं मदरसा एवं राजकीय इंटरकालेज में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तर पर क्रमशः 12 एवं 2 समान है। योजना द्वारा लाभान्वित होने वाले छात्रों में जहाँ सबसे अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की संख्या 96827 हैं वहीं सबसे कम अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र योजना द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं सामान्य कैटेगरी के छात्रों की संख्या क्रमशः 72419 हैं। योजना पर कन्वर्जन कास्ट की दर प्रति छात्र रू 4.48 प्राथमिक स्तर पर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 6.71 रू० शासन द्वारा निर्धारित है।

मध्याह्न भोजन योजना को और प्रभावी बनाने हेतु राज्य एवं केन्द्र दोनों सरकारों द्वारा विशेष कदम उठाया जा रहे है जो कि अत्यन्त ही सराहनीय हैं। जिनमें मुख्य रूप से सभी समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रयास किये गये जैसे—माता-अभिभावक संघ का गठन 1-8 तक के राजकीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों में वहतानिया, मदरसों एवं राष्ट्रीय बालश्रम योजना न्तगत प्रदेश सरकार द्वारा योजना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु "माँ अभियान" के अन्तर्गत छात्राओं के महिला अभिभावकों का एक रोस्टर तैयार कर भोजन के

गुणवत्ता को देखने-चखने एवं आवश्यक सुझाव हेतु निर्धारित किया गया है। जिसमें चयनित छः महिलायें नियत दिवस पर विद्यालय में उपस्थित होकर मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता में अपनी सामाजिक, सहभागिता प्रदान करती हैं। इसमें "माँ अभियान" में चयनित महिला अभिभावकों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण हेतु मुख्य बिन्दु है।

1. पके-पकाये भोजन की गुणवत्ता का अनुश्रवण ।
2. प्रत्येक छात्र हेतु मानकानुसार निर्धारित भोजन की मात्रा प्राप्त हो रही है अथवा नहीं की जाँच करना।
3. स्वच्छता एवं रसोई की साफ-सफाई, छात्र-छात्राओं को भोजन परोसने की व्यवस्था की निगरानी करना।
4. भोजन पकाने हेतु पारम्परिक ईंधन के स्थान पर पर्यावरण दृष्टि से रूचक का प्रयोग किया जाये।
5. भोजन पकाने का स्थान सुरक्षित हो तथा भोजन पकाने के समय एवं उसके वितरित हो जाने तक रसोईघर में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न कर पायें तथा भोजन पकाते समय रसोईघर के आस-पास बच्चे न जायें।
6. रसोईघर साफ-स्वच्छ रहे तथा दरवाजे एवं खिड़कियों में पल्ले लगे हों।
7. रसोईघरों को स्वच्छता सम्बन्धी प्रशिक्षण छः माह में ब्लॉक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय।

8. भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न नमूने सही मात्रा में विद्यालय में पहुँचाना तथा नमूनों का प्रदर्शन तहसील दिवसों में कराया जाना ।
9. मध्याह्न भोजन योजना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रकृति की योजना है अतः उपर्युक्त बिन्दुओं पर शासन द्वारा जनपद में कठोरतापूर्वक ठोस कदम उठाया जा रहा है।

#### योजना के संचालन में दृष्टिगत समस्याएँ

प्रस्तुत शोध में इस योजना के संचालन में आने वाली समस्याएँ तथा उनके निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में दृष्टिगत हुआ है।

1. अधिकतर स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत लगभग हर दूसरे दिन वही भोजन पकाया जाता है जो एक दिन पहले पकाया गया हो। अर्थात् अलग-अलग किस्म के भोजन का अभाव प्रतीत हुआ है।
2. अध्यापकों की कक्षा में उपस्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि अध्यापकों को इस स्कीम के अन्तर्गत बनने वाले भोजन की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है, जिस कारण वो कक्षा को कम समय दे पाते हैं।
3. बुनियादी सुविधाओं का सुचारु अवस्था में न होना अर्थात् किचन रूम, पानी की व्यवस्था और बर्तन आदि की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
4. गुणवत्ता वाले भोजन का अभाव जैसे- मिश्रित सब्जियों के स्थान पर सस्ती-आलू लौकी जैसी सब्जियों का प्रयोग।
5. माननीय कोर्ट के अनुसार भोजन की गुणवत्ता और प्रस्तावित मात्रा में अन्तर होना।
6. भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्न गुणवत्ता वाला चावल या गेहूँ उपलब्ध कराया जाना।
7. भोजन के लिए खाद्य सामग्री और पैसे पहुँचाने में अनियमितताएँ।

#### सुझाव

1. मिड-डे मील एक महत्वाकांक्षी योजना है इसमें और सुधार की आवश्यकता है।
2. योजना में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न किया जाय।
3. मानक के अनुरूप बच्चों को भोजन मिलना चाहिए।
4. प्रोटीन तथा ऊर्जा के साथ-साथ अन्य आवश्यक पोषक तत्वों को आहार तालिका में स्थान मिलना चाहिए।
5. शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मौजूदगी में समस्याओं का फीडबैक लिया जाय।
6. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मिड-डे मील के सफल संचालन में अभिभावकों की सहभागिता एवं उत्तरदायित्वसुनिश्चित की जानी चाहिए।
7. समय-समय पर रेन्डमली उच्च स्तरीय जाँच, कमेटी, औचक निरीक्षण द्वारा सुधार की आवश्यकता है।

#### निष्कर्ष

1.  मध्याह्न भोजन योजना को घर के बने भोजन के पूरक के बजाय एक विकल्प के रूप में पाया गया है। जिसमें स्कूल जाने वाले प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक बच्चों के आहार में सभी खाद्य समूहों की कमी है तथा अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का नगण्य स्थान है।

#### References

- Bakshi, G-orky: (2015) "केन्द्र सरकार द्वारा मिड-डे-मिल नियम", जागरण जोश, 1 अक्टूबर 2015*
- Mehta, et. al. (2013) J- nutria, Food Sci.*
- Seetharaman, S. (2010) Impact of mid day meal on the nutritional status- NIRD, Hyderabad*
- Verma, S. and Grover, K. (2009) A report on mid day meal- Punjab Agricultural University, Ludhiana, India- P*